

भाग—III

हरियाणा सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 फरवरी, 2019

संख्या का0आ0 8/ह0अ017/2017/धा0 1/2019.— गुरुग्राम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 (2017 का 17) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को उक्त उप-धारा के प्रयोजनों के लिए तिथि के रूप में नियत करते हैं।

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
उच्चतर शिक्षा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

Notificaiton

The 15th February, 2019

No. S.O. 8/H.A. 17/2017/S. 1/2019.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of Gurugram University Act, 2017 (17 of 2017), Governor of Haryana hereby appoints the date of publication of this notification in the official Gazette to be the date, for the purposes of said sub-section.

ANIL KUMAR,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Higher Education Department.

हरियाणा सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 फरवरी, 2019

संख्या का0आ0 9/ह0आ0 17/2017/धा0 4/2019.— गुरुग्राम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 (2017 का 17) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, विनिर्दिष्ट करते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2019-2020 से गुरुग्राम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम, जिला गुरुग्राम तथा नूँह में स्थित सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी महाविद्यालयों पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
उच्चतर शिक्षा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

Notificaiton

The 15th February, 2019

No. S.O. 9/H.A. 17/2017/S. 4/2019.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of Gurugram University Act, 2017 (17 of 2017), the Governor of Haryana hereby specifies that from the session 2019-20, Gurugram University, Gurugram shall exercise its powers over the Government and Non-Government colleges situated in the district Gurugram and Nuh.

ANIL KUMAR,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Higher Education Department.

हरियाणा सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 फरवरी, 2019

संख्या का0आ0 10/ह0अ0 25/1975/धा0 4/2019.— महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय अधिनियम, 1975 (1975 का 25) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ0 41/ह0अ0 25/1975/धा0 4/2017, दिनांक 21 जून, 2017 के अधिक्रमण में हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, विनिर्दिष्ट करते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2019-2020 से महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, फरीदाबाद तथा पलवल जिलों में स्थित बी0एड0 तथा इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के सिवाय, जिला रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद तथा पलवल जिलों में स्थित सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी महाविद्यालयों तथा सोनीपत जिले के सभी अन्य सहशैक्षणिक महाविद्यालयों पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
उच्चतर शिक्षा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

Notificaiton

The 15th February, 2019

No. S.O. 10/H.A. 25/1975/S. 4/2019.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of Maharishi Dayanand University Act, 1975 (25 of 1975) and in supersession of the Haryana Government, Education Department, notification No. S.O. 41/H.A. 25/1975/S. 4/2017, dated the 21st June, 2017, the Governor of Haryana hereby specifies that from the session 2019-20, Maharishi Dayanand University, Rohtak shall exercise its powers over the Government and Non-Government colleges situated in the districts of Rohtak, Jhajjar, Faridabad and Palwal except B.Ed. and Engineering colleges situated in the districts Faridabad and Palwal and all other Co-educational colleges of District Sonapat.

ANIL KUMAR,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Higher Education Department.